मध्यप्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2010-2011

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

मध्यप्रदेश विधानसभा

आमुख

मुझे, हमारे वार्षिक प्रकाशन मध्य प्रदेश सरकार के "लेखे एक दृष्टि में" का तेरहवां अंक प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

इस प्रकाशन का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निर्देशन में तैयार एवं विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे (इस वर्ष कुल 700 पृष्ठ) में उपलब्ध विस्तृत सूचनाओं को अधिक सरल एवं सुगम्य बनाना है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लिये हैं। ये वर्ष विभिन्न प्रतिवेदनों के विस्तार एवं प्रस्तुतीकरण में बड़े बदलाव के दर्शक रहे हैं। जिनके द्वारा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, अपने हितधारकों – विधायकों, कार्यपालिका एवं आमजन को सुविज्ञ बनाये रखता है। इस वर्ष वित्त लेखे के प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ही कुछ अतिरिक्त विवरण शामिल किये गये हैं ताकि सरकार की वित्तीय स्थिति अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाई जा सके। इन परिवर्तनों के अनुरूप "लेखे एक दृष्टि में" को भी पूर्णतया नये रूप में एवं अधिक व्यापक बनाया गया है। वित्त लेखे और विनिर्ग लेखे, राज्य वित्त पर प्रतिवेदन एवं "लेखे एक दृष्टि में" का सम्मिलित वाचन हितधारकों को मध्यप्रदेश सरकार के वित्त के विभिन्न तथ्यों को प्रभावी रूप से समझने में सहायक होंगे।

इस प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने में आपकी टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित हैं।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 09.01.2012

(वर्षा तिवारी)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
मध्य प्रदेश

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्चगुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकें–विधायिका, कार्यपालिका एवं आमजन को स्वतंत्रतापूर्वक आश्वासन देते हैं कि, लोक निधियों का पूर्ण दक्षता एवं इच्छित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारे बुनियादी मूल्य मार्गदर्शक दीपस्तम्भ की तरह है जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानक तय करते हैं :–

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपरकता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे का स्वरूप	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	4
1.5	लेखे की प्रमुखतायें	7
1.6	घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं	8
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1	प्रस्तावना	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11
2.3	प्राप्तियों का रुझान	12
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	14
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	15
2.6	संघ करों के राज्यांश का रुझान	16
2.7	सहायक अनुदान	16
2.8	लोक ऋण	17
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	प्रस्तावना	18
3.2	राजस्व व्यय	18
3.3	पूंजीगत व्यय	20

अध्याय 4	**आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण (2010–11)	22
4.2	आयोजना व्यय	22
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	23
4.4	व्यय का अतिरेक	24
4.5	प्रतिबद्ध व्यय	25
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1	विनियोग लेखे का सार (2010–11)	26
5.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान	26
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	27
अध्याय 6	**परिसम्पत्तियां एवं दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियां	30
6.2	ऋण एवं देयताएं	30
6.3	प्रत्याभूतियां	32
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1	आन्तरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	33
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	33
7.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	33
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का विनियोजन	34
7.5	लेखों का पुनर्मिलान	34
7.6	कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	35
7.7	अधिसंख्य सार आकस्मिक देयकों की विद्यमानता	35

अध्याय - 1

विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– प्रथम मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों, लोक निर्माण एवं वन संभागों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। ऐसे संकलन के पश्चात महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– प्रथम प्रतिवर्ष, वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे का स्वरूप

1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग 1 **समेकित निधि**	राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण और उधार एवं अग्रिम अन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग
भाग 2 **आकस्मिकता निधि**	बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।
भाग 3 **लोक लेखा**	इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण और उचंत से संबंधित लेन–देन शामिल हैं। ऋण एवं जमा शासन के पुनर्भुगतान दायित्व को निरूपित करते हैं। पेशगियां सरकार की प्राप्ति योग्य राशियां हैं। प्रेषण एवं उचंत लेन–देन समायोजनीय प्रविष्टियां हैं जिन्हें अन्ततः लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज कर शोधित किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

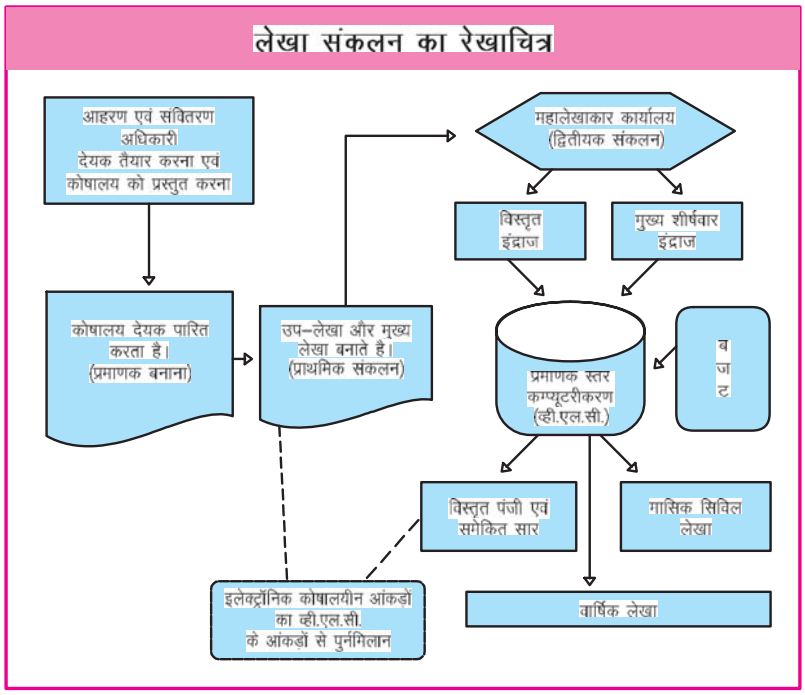

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 से इन्हें दो खण्डों में जारी किया जाता है। खण्ड–I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित सकल प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार को समाविष्ट करते हुए लेखाओं

पर टिप्पणी, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें समाहित हैं। खण्ड–II में अन्य संक्षिप्त विवरण (भाग–I), विस्तृत विवरण (भाग–II) एवं परिशिष्ट (भाग–III) शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में सम्मिलित प्राप्तियां एवं संवितरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां कुल : 57,529	राजस्व कुल : 51,854	कर राजस्व	3,70,58
		गैर कर राजस्व	57,20
		सहायता अनुदान	90,76
	पूंजीगत कुल : 56,75	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां*	34
		उधार और अन्य दायित्व	52,72
		अन्य प्राप्तियां	3,69**
संवितरण कुल : 57,529	राजस्व		4,50,12
	पूंजीगत		88,00
	उधार और अग्रिम		37,15
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन		2

संघ सरकार, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करती हैं। इस वर्ष, भारत सरकार ने सीधे ₹ 89,63 करोड़ (विगत वर्ष 80.98 करोड़) विमुक्त किये हैं। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती। अब ये स्थानान्तरण वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट–VII में प्रदर्शित हो रही हैं।

---

* **उधार और अन्य दायित्व:** लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियां–संवितरण) (₹ 49,29 करोड़) + आकस्मिकता निधि की निवल राशि (निरंक) + लोक लेखे की निवल राशि (प्राप्तियां–संवितरण) (₹ 321 करोड़) + रोकड़ शेष का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष (₹ 664 करोड़)

** सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूंजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 3.67 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2 करोड़) सम्मिलित हैं।

1 वित्त लेखे 2010–11 के अनुसार ₹ 88,64 करोड़ ┐ आंकड़े वित्त लेखे से मेल नहीं खाते क्योंकि

2 वित्त लेखे 2010–11 के अनुसार ₹ 80,36 करोड़ ┘ वित्त लेखे में केवल प्रमुख योजनाएं ही सम्मिलित हैं।

1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। वे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित "दत्तमत" और संचित निधि पर "प्रभारित" राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इसमें 52 प्रभारित विनियोग एवं 134 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित हैं।

विनियोग अधिनियम 2010–11 में ₹ 7,34,37.40 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 15,29.06 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) उपबंधित हैं। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 6,12,28.27 करोड़ एवं व्यय में कमी ₹ 11,70.90 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 1,22,09.13 करोड़ की शुद्ध बचत (16.63%) एवं ₹ 3,58.07 करोड़ (23.42%) प्राक्कलन से अधिक 'व्यय में कमी' रही। राजस्व में व्यय में कमी प्राक्कलन से कम जबकि पूंजीगत में प्राक्कलन से अधिक रही। सकल व्यय में सार आकस्मिक देयकों से आहरित राशि ₹ 1.15 करोड़ सम्मिलित है, जो विस्तृत आकस्मिक देयकों की प्रतीक्षा में वर्गान्त तक लम्बित रही। वर्ष 2010–11 में ₹ 1,09,143 करोड़ समेकितनिधि से लोक लेखे के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित किए गए। जो निर्दिष्ट प्रशासकों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संधारित किए जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों के अन्तर्गत अव्ययित रही राशि यदि कोई हो, शासन को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के स्थानान्तरण का विस्तृत विवरण एवं व्यक्तिगत जमा खातों में लंबित शेष जो केवल कोषालयों में उपलब्ध हैं। क्योंकि वे इस प्रकार का अभिलेख संधारित करने हेतु जिम्मेदार हैं।

1.4 निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय पेशगियां

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा प्रदान कर अपनी तरलता स्थिति बनाये रखने में समर्थ बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार न्यूनतम शेष राशि में कमी होने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। 2010–11 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने अर्थोपाय पेशगी या अधिविकर्षण सुविधा का आश्रय नहीं लिया।

1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण

राज्य के पास ₹ 68,42 करोड़ का राजस्व अतिशेष एवं ₹ 52,72 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.52% एवं 1.94% रहा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 9 प्रतिशत रहा। यह घाटा लोक ऋण (₹ 49.29 करोड़) से पूरा किया गया, लोक लेखे में कमी ₹ 3.21 करोड़ एवं प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का निवल ₹ (–) 6,64 करोड़ रहा। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 5,18,54 करोड़) का लगभग 41% प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 1,24,27 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 50,49 करोड़) एवं पेंशन (₹ 37,67 करोड़) पर व्यय किया गया।

---

* जहाँ अन्यथा दर्शाया गया है, के सिवाय, इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंक म.प्र. शासन के योजना विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।

निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	राशि
स्त्रोत	01.04.2010 को प्रारंभिक नगद शेष	(–) 20,41
	राजस्व प्राप्तियां	5,18,54
	पूंजीगत प्राप्तियां	3,67
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	34
	सार्वजनिक ऋण	74,58
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	17,37
	आरक्षित एवं शोधन निधि	11,92
	जमा प्राप्ति	93,13
	चुकता सिविल अग्रिम	4,11
	उचन्त लेखा	18,18,72
	प्रेषण	1,12,12
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2
	योग	**26,34,11**

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	4,50,12
	पूंजीगत व्यय	88,00
	दिए गए कर्जे	37,15
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	25,29
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	9,64
	आरक्षित एवं शोधन निधि	9,16
	जमा व्यय	76,35
	दिए गए सिविल अग्रिम	4,11
	उचन्त लेखा	18,54,39
	प्रेषण	1,06,93
	31.03.2011 को अंतिम नगद शेष	(–) 27,05
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2
	योग	**26,34,11**

1.4.3 रूपया कहां से आया

वास्तविक प्राप्तियां

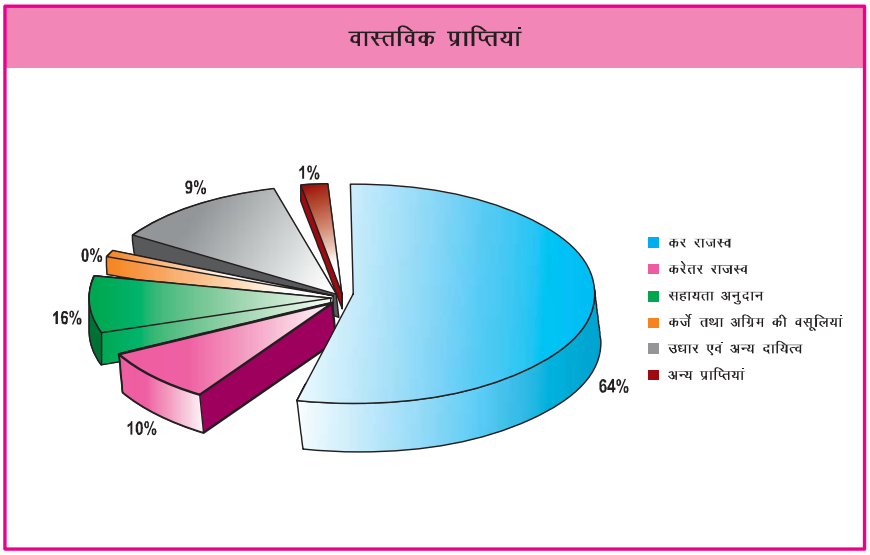

1.4.4 रूपया कहां गया

वास्तविक व्यय

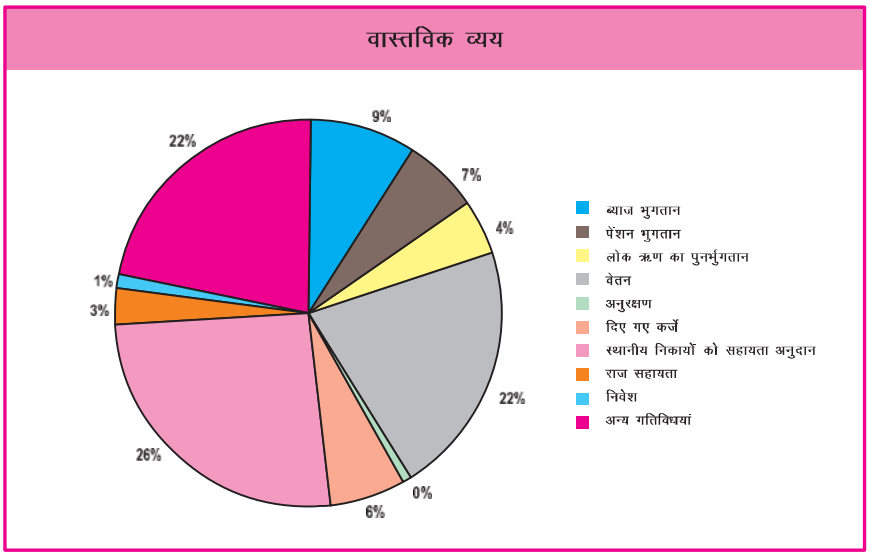

1.5 लेखे की प्रमुखताएं

(करोड़ ₹ में)

	मद	बजट अनुमान 2010–11	वास्तविक राशि	बजट अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता[$]
1.	कर राजस्व (@)	29718	37058	125	14
2.	करेतर राजस्व	4322	5720	132	2
3.	सहायता अनुदान तथा अंशदान	9404	9076	97	3
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	43444	51854	119	19
5.	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	60	34	57	–
6.	अन्य प्राप्तियां[**]	–	369	–	–
7.	उधार तथा अन्य दायित्व	8003	5272	66	2
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	8063	5675	70	2
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	51507	57529	112	21
10.	आयोजनेत्तर व्यय	29568	35001	118	13
11.	राजस्व लेखे का आयोजनेत्तर व्यय	29212	32101	110	12
12.	11में सम्मिलित ब्याज अदायगी पर आयोजनेत्तर व्यय	5052	5049	100	2
13.	पूंजीगत लेखे का आयोजनेत्तर व्यय	356	2900	815	1
14.	योजना व्यय	21939	22528	103	8
15.	राजस्व लेखे का योजना व्यय	12651	12911	102	5
16.	पूंजीगत लेखे का योजना व्यय	9288	9617	104	4
17.	कुल व्यय (10+14)	51507	57529	112	21
18.	राजस्व व्यय (11+15)	41863	45012	108	17
19.	पूंजीगत व्यय (13+16)	9644	12517	130	5
20.	राजस्व आधिक्य (4–18)	1581	6842	433	3
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6–17)	8003	5272	66	2

($) योजना विभाग म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद राशि ₹ 27,16,81 करोड़ ली गई है।

((@)) संघ कर का अंश ₹ 1,56,39 करोड़ सम्मिलित है।

****** पृष्ठ क्रमांक 9 पर पाद टिप्पणी देखें।

***** पृष्ठ क्रमांक 9 पर पाद टिप्पणी देखें।

अ वास्तविक आयोजनेत्तर व्यय में राजस्व व्यय (₹ 3,21,01 करोड़) पूंजीगत व्यय (₹ 1,43 करोड़) तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम (₹ 27,55 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2 करोड़) सम्मिलित है।

ब ₹ 27,55 करोड़ (ऋण और अग्रिम), ₹ 2 करोड़ अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा ₹ 1,43 करोड़ पूंजीगत व्यय सम्मिलित है।

स पूंजीगत योजना व्यय ₹ 86,57 करोड़ तथा योजना ऋण और अग्रिम व्यय ₹ 9,60 करोड़ सम्मिलित है।

(#) पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 88,00 करोड़) एवं संवितरित ऋण, अग्रिम (₹ 37,15 करोड़) तथा अन्तर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2 करोड़) सम्मिलित हैं।

1.6 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं ?

घाटा	राजस्व और व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों के अनुप्रयोग वित्तीय व्यवस्था में दूरदर्शिता के मुख्य सूचक है।
राजस्व घाटा / आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन के विद्यमान स्थापना के अनुरक्षण के अपेक्षित तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से मिलना चाहिए।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अंतर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

घाटा सूचक, राजस्व आवर्धन तथा व्यय व्यवस्थापन शासन के राजकोषीय प्रदर्शन के विवेचन के वृहद् मापदण्ड हैं। 12वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2008–09 तक राज्य राजस्व शेष का उपार्जन करे तथा वर्ष 2009–10 तक निवल राजकोषीय घाटे को 3% तक कम करें। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की स्वीकार्य सीमा को वर्ष 2009–10 में 4% तथा 2010–11 में 3.5% तक आगे शिथिल किया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य शासन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने ऋण के एकत्रीकरण तथा राहत सुविधा (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि) को विस्तारित किया जिसके अंतर्गत सफल राज्य सरकारें मूल तथा/या ब्याज पर राहत प्राप्त करेंगी। परिणामस्वरूप म.प्र.सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005 अधिनियमित किया। वर्ष 2010–11 के लिये वास्तविक राजकोषीय घाटा 1.94% होने के बावजूद राज्य सरकार वर्ष 2010–11 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय घाटे को 4% तक सीमित करने को प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार शीघ्रतम 2004–05 में राजस्व आधिक्य को उपार्जित करने में सफल रही है तथा इसे तदोपरांत बनाए हुए हैं।

---

1 वर्ष 2009–10 में राजकोषीय घाटा ₹ 61,99 करोड़ तथा 2010–11 में ₹ 52,72 करोड़ था।

2 वर्ष 2009–10 में राजस्व आधिक्य ₹ 54,98 करोड़ तथा 2010–11 में ₹ 68,42 करोड़ था।

1.6.1 राजस्व आधिक्य का रुझान

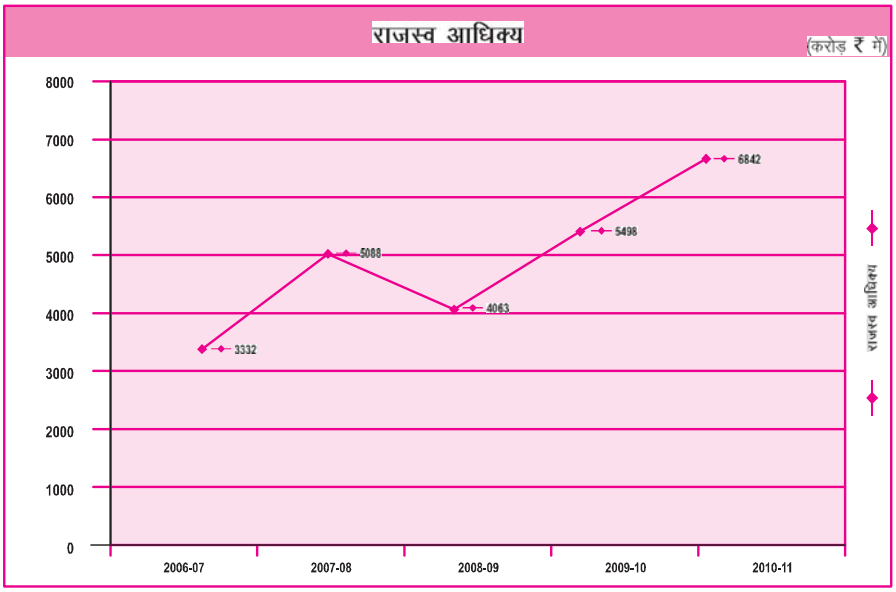

1.6.2 राजकोषीय घाटे का रुझान

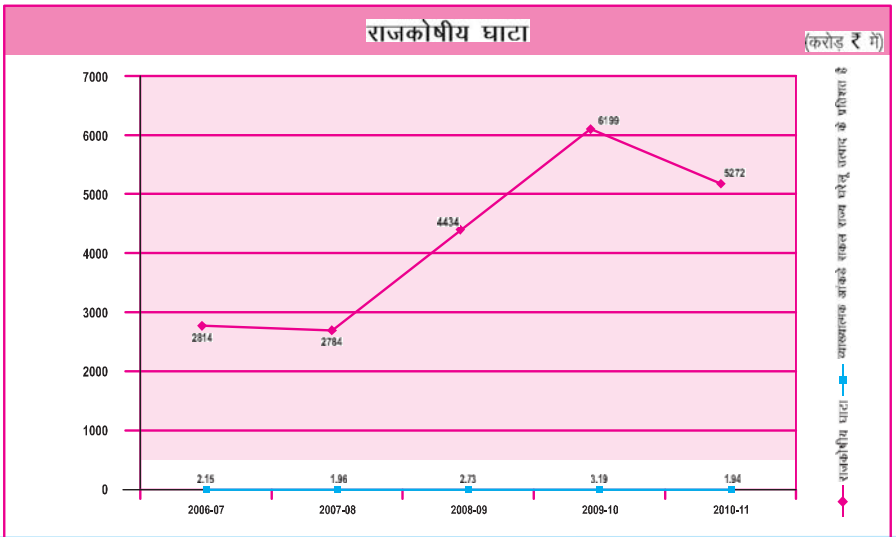

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात

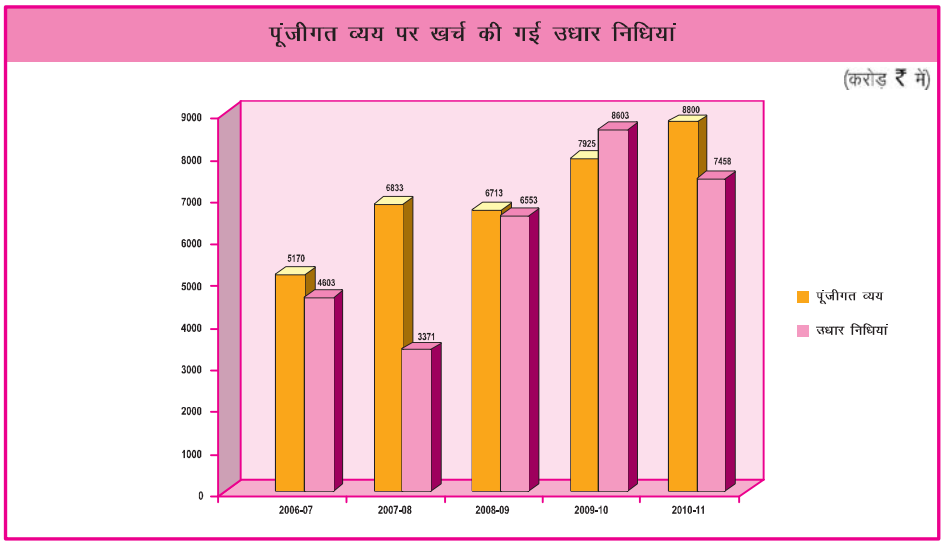

यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जावे तथा मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया जावे। तथापि राज्य सरकार ने चालू वर्ष के उधार (₹ 74,58 करोड़) का केवल 9% (₹ 6,72 करोड़) पूंजीगत व्यय पर खर्च किया और लोक ऋण का 91% ब्याज सहित पुनर्भुगतान (₹ 67,86 करोड़) निम्न पर उपयोग किया गया।

(1) पूर्व वर्षों के लोक ऋण पर मूल और ब्याज को चुकाने में,

(2) चालू वर्ष में व्यय के विरूद्ध राजस्व की आवधिक कमी की पूर्ति के लिए,

(3) वर्ष के अंत में सकारात्मक नगद शेष तथा कोषालय बिल में निःशेष को अनुरक्षित करने के लिए।

अध्याय - 2

प्राप्तियां

2.1 प्रस्तावना

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियें के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2010–11 में कुल प्राप्तियां ₹ 5,75,29 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय कर अंश समाविष्ट होते हैं।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	संघीय सरकार से राज्य सरकार को अत्यावश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघीय सरकार की मध्यस्थता द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य अनुदान सहायता तथा सहायता, सामग्री तथा उपकरण सम्मिलित है। इसी प्रकार, राज्य शासन संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाएं, स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान देता है।

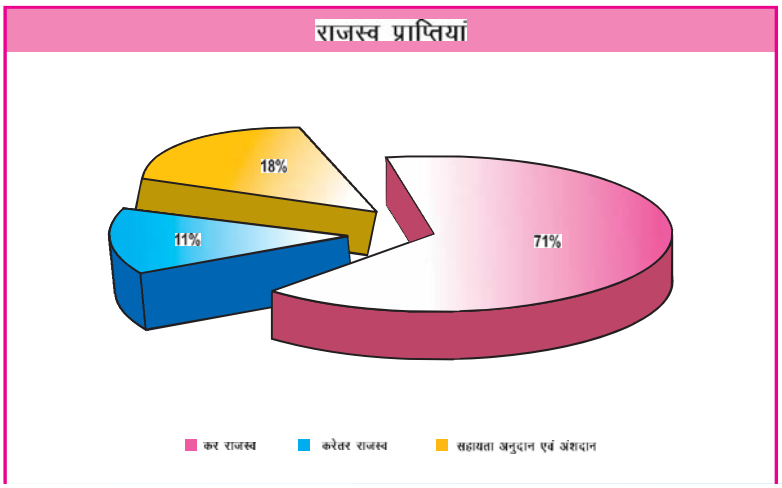

राजस्व प्राप्तियों के घटक (2010-11)

(करोड़ ₹ में)

घटक	वास्तविक राशि
अ. कर राजस्व	**3,70,58**
आय और व्यय पर कर	95,76
पूंजीगत लेन–देनों तथा संपत्ति पर कर	28,88
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	2,45,94
ख. करेतर राजस्व	**57,20**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	3,31
सामान्य सेवाएं	3,96
सामाजिक सेवाएं	13,08
आर्थिक सेवाएं	36,85
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**90,76**
योग – राजस्व प्राप्तियां	**5,18,54**

2.3 प्राप्तियों का रुझान

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
कर राजस्व	1,85,62(14)	2,22,21(16)	2,43,81(15)	2,83,50(15)	3,70,58(14)
करेतर राजस्व	26,58*(2)	27,38 (2)	33,43 (2)	63,82 (3)	57,20(2)
सहायता अनुदान	44,74(3)	57,39(4)	58,54(4)	66,63(3)	90,76(3)
योग–राजस्व प्राप्तियां	2,56,94(20)	3,06,89(22)	3,35,77(21)	4,13,95(21)	5,18,54(19)
सकल राज्य घ ू उत्पाद (अ)	13,06,29	14,22,04	16,25,25	19,44,27	27,16,81

टीप : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत दर्शाते हैं।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के मध्य 40% बढ़ा तथापि राजस्व संग्रहण में वृद्धि केवल 25% थी। जबकि वर्ष 2009–10 की तुलना में 2010–11 में कर राजस्व 31% बढ़ा तथा करेतर राजस्व 10% कम हुआ। करेतर राजस्व में कमी मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों, विविध सामान्य सेवाओं तथा विद्युत में क्रमशः राशि ₹ 9,85 करोड़, ₹ 2,56 करोड़ तथा ₹ 6,86 करोड़ की कम प्राप्ति के कारण हुई। जो कि अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग (₹ 5,31 करोड़) एवं खेल तथा संस्कृति (₹ 4,49 करोड़) में महत्वपूर्ण वृद्धि से आंशिक रूप से प्रति संतुलित हुआ।

---

* इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में ऋण समेकितीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त ऋण राहत ₹ 7,26 करोड़ सम्मिलित हैं।

@ इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त राहत ₹ 3,63 करोड़ सम्मिलित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक

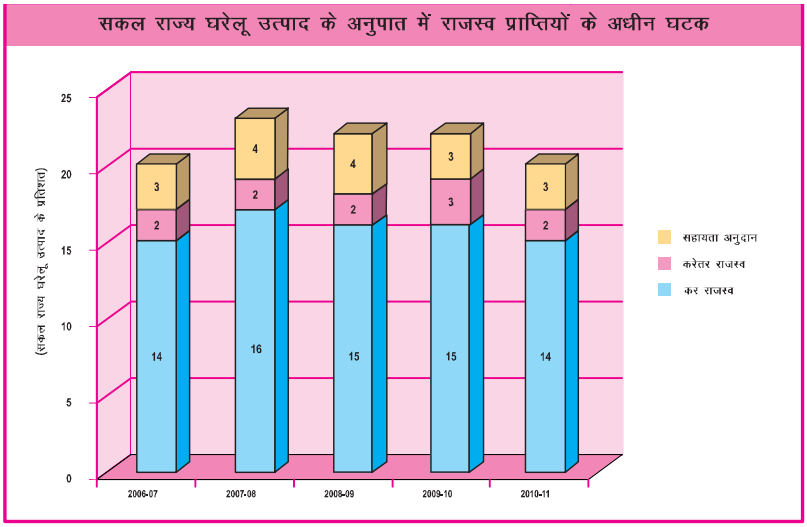

क्षेत्रवार कर राजस्व :

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
आय और व्यय पर कर	4226	5604	5930	7314	9576
संपत्ति और पूंजीगत लेन देनों पर कर	1387	1664	1821	1974	2888
सेवाओं और वस्तुओं पर कर	12949	14953	16630	19062	24594
कुल कर राजस्व	**18562**[#]	**22221**	**24381**	**28350**	**37058**

भारत सरकार से प्राप्त करों के अन्तर्गत राज्य सरकार का अंश ₹ 80,89 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों का 31.48% प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रुझान

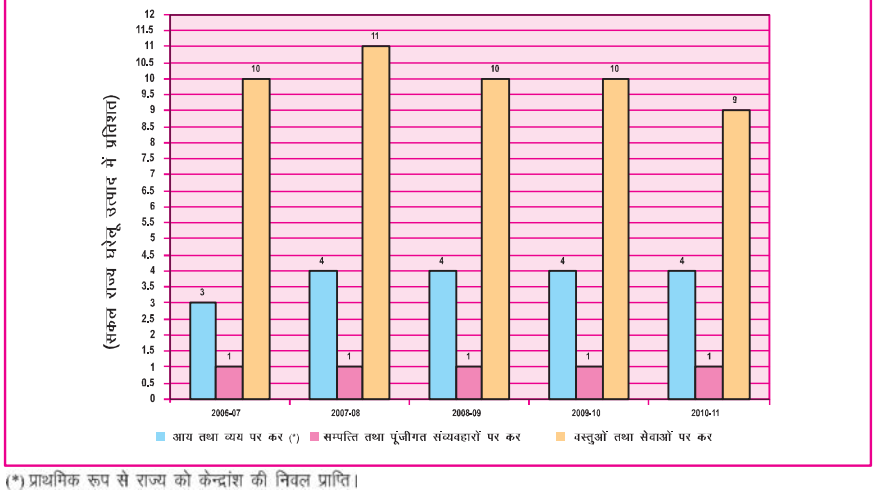

(*) प्राथमिक रूप से राज्य को केन्द्रांश की निवल प्राप्ति।

2.4 राज्य का कर राजस्व संग्रहण में प्रदर्शन :

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का कर राजस्व	
			रूपये	सकल राज्य घरेल उत्पाद का प्रतिशत
2006–07	18562	8089	10473	8.4%
2007–08	22221	10203	12018	8.4%
2008–09	24381	10767	13614	8.4%
2009–10	28350	11077	17273	8.9%
2010–11	37058	15639	21419	7.9%

2.5 कर संग्रहण में दक्षता

अ. संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
राजस्व संग्रहण	1387	1664	1821	1974	2888
संग्रहण पर व्यय	287	365	407	556	632
कर संग्रहण में दक्षता	**21%**	**22%**	**22%**	**28%**	**22%**

ब. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
राजस्व संग्रहण	12949	14953	16630	19062	24594
संग्रहण पर व्यय	657	754	801	1043	1598
कर संग्रहण में दक्षता	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**6%**

कर राजस्व का मुख्य अंश वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है। कर संग्रहण में दक्षता श्रेष्ठ है तथापि संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 विगत पांच वर्षों में संघ करों में राज्य के अंश का रुझान

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
निगम कर	25,24	32,38	35,31	45,59	61,13
आय पर निगम कर से भिन्न कर	15,33	21,73	22,17	25,39	32,30
धन कर	3	4	3	10	13
सीमा शुल्क	15,78	19,29	20,58	15,50	27,35
संघ उत्पाद शुल्क	16,75	18,41	17,95	12,49	19,89
सेवा कर	7,76	10,19	11,63	11,70	15,59
संघ करों में राज्य का अंश	80,89	1,02,03	1,07,67	1,10,77	1,56,39
कुल कर राजस्व	1,85,62	2,22,21	2,43,81	2,83,50	3,70,58
कुल कर राजस्व में संघ करों का प्रतिशत	**44**	**46**	**44**	**39**	**42**

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आयोजनेत्तर सहायता एवं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य आयोजनागत योजनाएं, केन्द्र आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित सहायता शामिल है। वर्ष 2010–11 के अंतर्गत कुल प्राप्तियों में राज्य सहायता ₹ 90,76 करोड़ थी, जो कि निम्नलिखित है :–

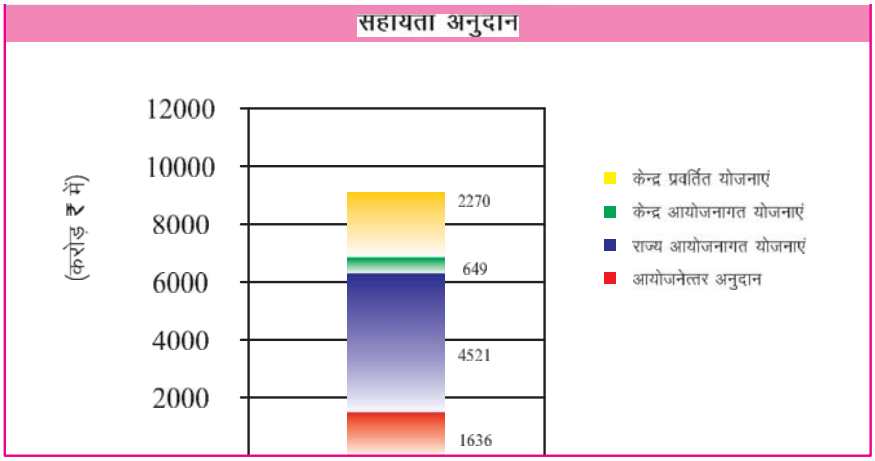

बजट अनुमान ₹ 94,04 करोड़ आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजना में संघ अंश के विरूद्ध राज्य सरकार को वास्तविक रूप से ₹ 90,76 करोड़ (बजट अनुमान का 97%) सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

2.8 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
आंतरिक ऋण	3182	1592	3883	5320	4352
केन्द्रीय ऋण	(–) 311	102	709	888	577
योग–लोक ऋण	**2871**	**1694**	**4592**	**6208**	**4929**

टीप :– 1. ऋणात्मक आंकड़े पुनर्भुगतान में प्राप्तियों के आधिक्य को सूचित करते हैं।
2. शुद्ध आंकड़े प्राप्ति (–) वितरण

वर्ष 2010–11 में 8.36% से 8.48% की ब्याज दर पर ₹ 39,00 करोड़ के पांच ऋण जो वर्ष 2020–21 में सममूल्य पर मोचनीय थे, लिये गये।

अध्याय - 3

व्यय

3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया गया है। संगठन को चलाने के लिये प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता को बढ़ाने में या स्थायी दायित्वों को कम करने में होता है। व्यय को आयोजना और आयोजनेत्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि शामिल है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2010–11 का राजस्व व्यय ₹ 4,50,12 करोड़ था, जो कि बजट अनुमान से ₹ 31,49 करोड़ अधिक था क्योंकि ₹ 2,60 करोड़ आयोजना के अंतर्गत तथा ₹ 28,89 करोड़ आयोजनेत्तर के अंतर्गत अधिक वितरण किया गया था। इस वृद्धि को ₹ 84,10 करोड़ बजट अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्तियों के परिपेक्ष्य में देखा गया तथा राज्य द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में राजस्व आधिक्य को संधारित किया।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट अनुमान के विरूद्ध व्यय को नीचे दिया गया है :–

(करोड ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
बजट अनुमान	22510	25989	31564	38262	41863
वास्तविक	22363	25601	29514	35897	45012
अंतर	147	388	2050	2365	3149
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	**1**	**1**	**6**	**6**	**8**

उपरोक्त तालिका बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय में वृद्धि 8% को दर्शाती है जो कि मुख्यतया आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का लगभग 66% प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान) के रूप में था, जिसमें कमी किये जाने की आवश्यकता है। वास्तविक आयोजना व्यय में 31% की वृद्धि होकर यह 2009–10 के ₹ 98,38 करोड़ से 2010–11 में ₹ 1,29,10 करोड़ हुई।

3.2.1राजस्व व्यय 2010–11 का प्रक्षेत्रवार विवरण

(करोड़ ₹ में)

संघटक	राशि	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	**2232**	5
(1) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	632	1
(2) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	1598	4
(3) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	–
ख. राज्य के अंग	**492**	1
ग. ब्याज की अदायगी तथा ऋण, शोधन	**5049**	11
घ. प्रशासनिक सेवाएं	**3106**	7
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**3768**	8
च. सामाजिक सेवाएं	**17345**	39
छ. आर्थिक सेवाएं	**10085**	22
ज. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**2935**	7
योग–व्यय (राजस्व लेखा)	**45012**	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2006–11) :

राजस्व व्यय के मुख्य संघटकों का रुझान (करोड़ ₹ में)

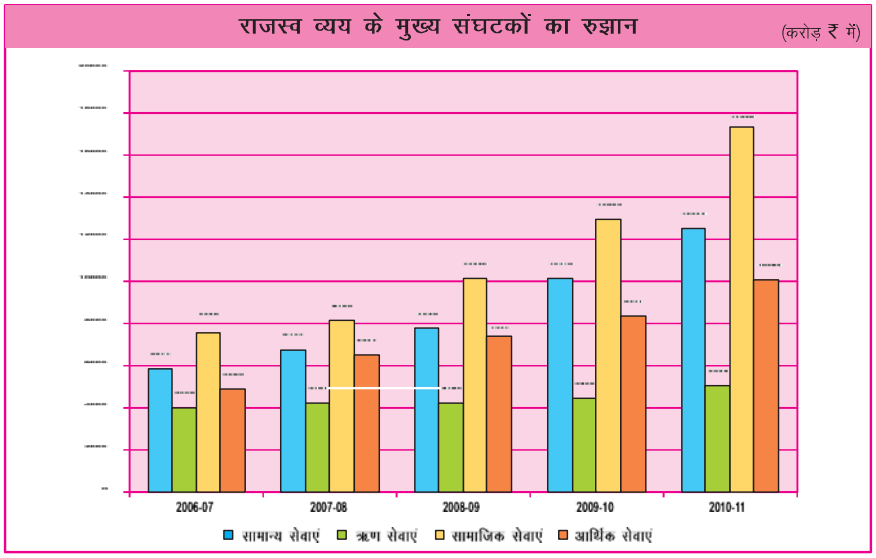

* सामान्य सेवाओं से मुख्यशीर्ष 2049 (ब्याज अदायगी) को अलग किया गया है तथा मुख्यशीर्ष 3604 (स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्वत्वार्पण तथा क्षतिपूर्ति) को शामिल किया गया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

3.3.1 पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2010–11 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 33.14 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 20.06 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 4.97 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 8.11 करोड़) व्यय किये। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शीर्ष "आवास" के अंतर्गत ₹ 19 करोड़ भवनों के निर्माण पर तथा ₹ 5.67 करोड़ विभिन्न सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों/सहकारी संस्थाओं में निवेश पर व्यय किये गये।

(करोड़ ₹ में)

स.क्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	**सामान्य सेवाएं** – पुलिस, भू–राजस्व इत्यादि	1,79	1
2.	**सामाजिक सेवाएं** – शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि	15,32	12
3.	**आर्थिक सेवाएं** – कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि	70,89	57
4.	ऋण तथा अग्रिम वितरित	37,15	30
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	–
	योग	**1,25,17**	**100**

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण (करोड़ ₹ में)

स.क्र.	क्षेत्र	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1.	सामान्य सेवाएं	71	74	1,25	1,19	1,79
2.	सामाजिक सेवाएं	7,22	11,41	12,95	11,78	15,32
3.	आर्थिक सेवाएं	43,77	56,18	52,93	66,28	70,89
4.	ऋण तथा अग्रिम	9,53	11,55	18,61	38,17	37,15
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	2	1	3	2
6.	आकस्मिकता निधि का विनियोजन	60	–	–	–	–
	योग	61,84	79,90	85,75	1,17,45	1,25,17

पूंजीगत व्यय के प्रक्षेत्रवार वितरण का रुझान

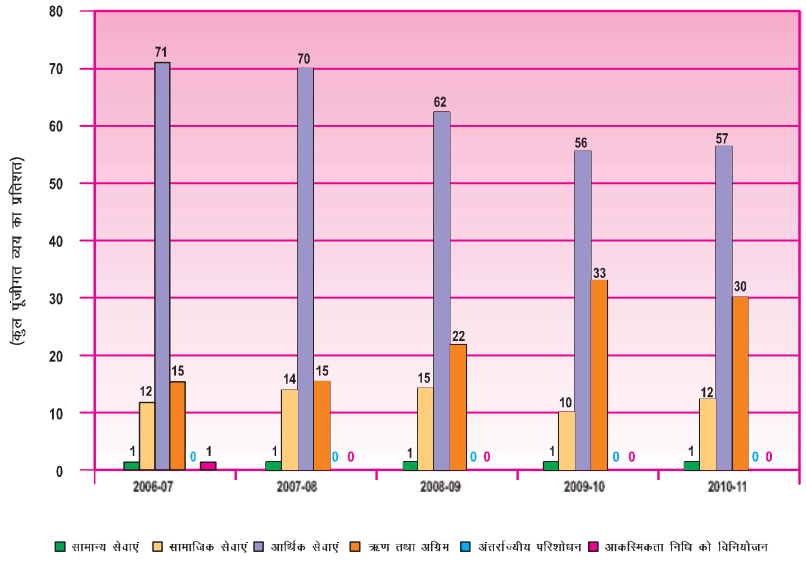

अध्याय - 4

आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2010–11)

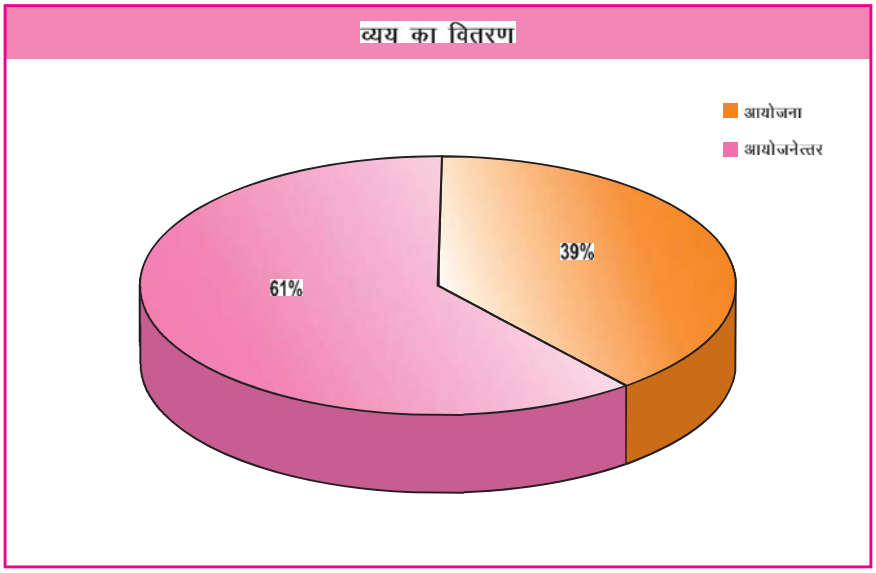

4.2 आयोजना व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजना व्यय ₹ 2,25,28 करोड़ (₹ 1,49,37 करोड़ राज्य आयोजना के अंतर्गत, ₹ 66,31 करोड़ केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत तथा ₹ 9,60 करोड़ ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत) था जो कि कुल वितरण का 39 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात के रूप में आयोजना व्यय

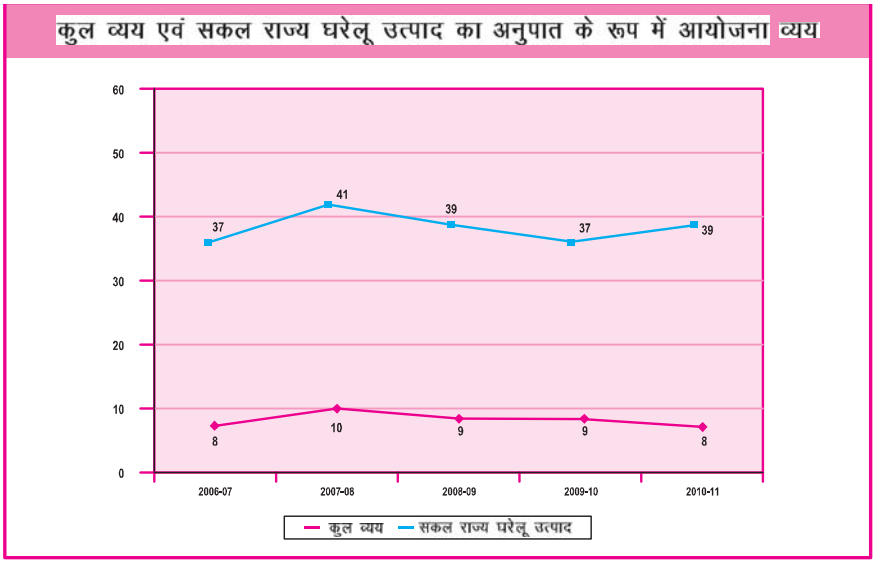

4.2.1 पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत आयोजना व्यय

(करोड़ ₹ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
कुल पूंजीगत व्यय	6184	7990	8575	11745	12517
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	5119	6957	7181	7911	9617
कुल पूंजीगत व्यय का पूंजीगत व्यय प्रतिशत (आयोजना)	83	87	84	67	77

4.3 आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय, कुल संविरण का 61 प्रतिशत दर्शाते हुए ₹ 3,50,01 करोड़ था, (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 3,21,01 करोड़ एवं पूंजीगत के अन्तर्गत ₹ 29,00 करोड़)

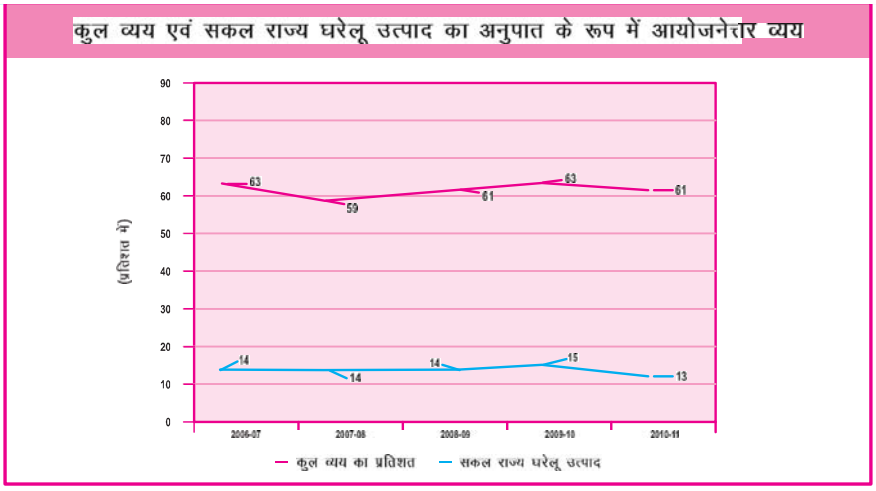

कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात के रूप में आयोजनेत्तर व्यय

4.4 व्यय का अतिरेक

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है (मध्यप्रदेश बजट सहिंता की कंडिका 92) फिर भी यह ध्यान में आया है कि आठ प्रकरणों में मार्च, 2011 में किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 42 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

(करोड़ ₹ में)

स. क्र.	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	मार्च में किया गया व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च मे किये गये व्यय की प्रतिशतता
1.	17–सहकारिता	225.19	213.61	90.54	42.39
2.	31–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	152.54	66.67	31.60	47.40
3.	47–तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	345.89	314.49	137.11	43.60
4.	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1584.83	1536.46	831.19	54.10
5.	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	994.17	942.31	684.37	72.63
6.	72–भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	331.71	325.46	278.32	85.52
7.	76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	14.46	14.46	12.96	89.63
8.	79–अपरंपरागत ऊर्जा	8.76	8.18	8.18	100.00

4.5 प्रतिबद्ध व्यय

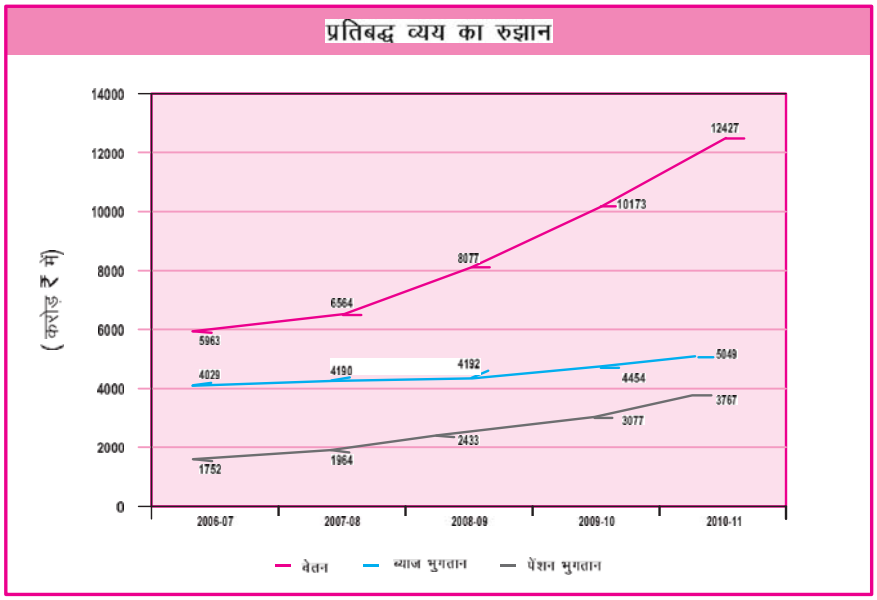

(करोड़ ₹ में)

प्रतिबद्ध	
राजस्व	
राजस्व	
राजस्व	

प्रतिबद्ध व्यय पर मुख्य संवितरण राज्य सरकार के साथ विकास खर्च के लिये कम लोच्यता छोड़ता है।

विनियोग लेखे

5.1 विनियोग लेखे का सार 2010–11

(करोड़ ₹ में)

स. क्र.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान / विनियोग	पूरक अनुदान / विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)	पुनर्विनियोजन / समर्पण
1.	राजस्व						
	दत्तमत	3,72,53.49	85,44.88	4,57,98.37	3,98,83.65	(–) 59,14.72	(–) 39,67.23
	प्रभारित	59,21.36	8,03.97	67,25.33	58,48.18	(–) 8,77.15	(–) 1,52.82
2.	पूंजीगत						
	दत्तमत	82,12.52	25,46.82	1,07,59.34	92,17.60	(–) 15,41.74	(–) 13,17.35
	प्रभारित	9.27	6.69	15.96	26.78	(+) 10.82	(–) 0.56
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	59,22.00	–	59,22.00	25,29.23	(–) 33,92.77	–
4.	ऋण एवं अग्रिम						
	दत्तमत	16,39.73	25,76.67	42,16.40	37,22.83	(–) 4,93.57	(–) 4,42.44
	योग	**5,89,58.37**	**1,44,79.03**	**7,34,37.40**	**6,12,28.27**	**(–) 1,22,09.13**	**(–) 58,80.40**

5.2 पिछले पांच वर्षों में बचत / आधिक्य का रुझान

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बचत (–) / आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2006–07	27,00.25	19,70.43	44,63.07	5,17.24	96,51.39
2007–08	36,85.11	12,90.58	20,04.48	4,15.54	73,95.71
2008–09	46,45.76	10,48.90	18,75.54	7,81.96	83,52.16
2009–10	58,66.64	17,16.65	38,96.41	4,50.15	1,19,29.88
2010–11	67,91.87	15,30.92	33,92.77	4,93.57	1,22,09.13

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

एक अ ान दे अन्तर्ग विशिष्ट बचतें े ना/कार्य में दे अकार्य वयन या धी कार्य वयन के दर्श ी है।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं :–

(प्रतिशत में बचत)

अनुदान	नाग	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
01	सामान्य प्रशासन	13.37	16.83	16.80	13.51	12.46
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	35.90	31.91	33.63	26.35	31.90
06	वित्त	11.40	12.43	20.85	21.77	21.02
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	16.18	22.20	20.04	31.32	27.82
14	नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय निकाय	17.93	18.58	33.89	22.56	9.67
29	विधि एवं विधायी कार्य	28.60	26.26	22.64	15.70	41.04
48	नर्मदा घाटी विकास	78.42	33.45	19.76	34.62	28.99
55	महिला एवं बाल विकास	37.77	15.23	16.12	18.08	8.99
64	अनुसूचित जाति उप योजना	17.42	19.72	20.11	21.55	13.00
01	सामान्य प्रशासन	100	77.59	39.88	52.27	19.40
03	पुलिस	82.86	88.67	12.18	10.92	17.19
23	जल संसाधन	15.41	8.24	9.23	36.50	8.04
40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय – आयाकट	52.27	39.11	27.88	21.46	14.00
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15.36	10.94	10.29	36.07	11.71
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	35.11	28.58	17.63	29.65	50.90
57	जल सं धन विभाग े सं धित वि े से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	50.68	54.13	31.74	25.58	20.68

अनुदान	नाम	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	100	100	100	64.29	69.64
64	अनुसूचित जाति उप योजना	17.18	11.13	12.41	11.55	9.01
67	लोक निर्माण कार्य भवन	58.56	50.32	23.33	14.61	32.28

2010–11 के दौरान कुछ प्रकरणों में पूरक अनुदान/विनियोग राशि ₹ 1,44,79.03 (कुल व्यय का 23.65 प्रतिशत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि मूल आवंटन के विरूद्ध वर्ष के अन्त में महत्वपूर्ण बचतें हुईं। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ ₹ में)

अनुदान	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व (दत्तमत)	183.42	13.83	172.67
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व (दत्तमत)	40.08	1.51	28.32
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजीगत (दत्तमत)	0.32	0.60	0.32
06	वित्त	राजस्व (दत्तमत)	4308.55	1089.16	3895.86
07	वाणिज्यिक कर	राजस्व (दत्तमत)	1196.18	30.61	1175.01
10	वन	राजस्व (दत्तमत)	997.25	142.51	978.08
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	पूंजीगत (दत्तमत)	119.16	1.00	17.81
15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व (दत्तमत)	1148.54	3.24	903.25
21	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व (दत्तमत)	221.99	6.01	81.94
28	राज्य विधान मण्डल	राजस्व (दत्तमत)	41.79	6.30	39.89
29	विधि एवं विधायी कार्य	राजस्व (दत्तमत)	52.57	6.40	48.04
34	समाज कल्याण	राजस्व (दत्तमत)	114.18	14.36	84.94

अनुदान	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
36	परिवहन	राजस्व (दत्तमत)	46.49	4.91	41.49
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व (दत्तमत)	1763.13	210.76	1731.18
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	पूंजीगत (दत्तमत)	1363.12	159.62	1344.46
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	पूंजीगत (दत्तमत)	313.07	30.00	251.02
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व (दत्तमत)	43.15	2.93	26.29
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व (दत्तमत)	79.75	1.00	76.75
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व (दत्तमत)	13.31	0.04	10.08
52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व (दत्तमत)	1383.96	140.54	1320.86
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजीगत (दत्तमत)	357.27	5.00	287.37
63	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व (दत्तमत)	43.21	8.23	30.54
67	लोक निर्माण कार्य – भवन	पूंजीगत (दत्तमत)	73.86	34.00	71.97
69	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व (दत्तमत)	41.90	11.60	25.79
75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व (दत्तमत)	2986.39	282.57	2831.72
77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	पूंजीगत (दत्तमत)	13.43	5.00	11.43
	योग		**16946.07**	**2211.73**	**15487.08**

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

6.1 परिसम्पत्ति

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि के जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किये गये हैं, को छोड़कर, सही मूल्यांकन चित्रित नहीं करते हैं। इसी तरह, जबकि लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव उसी वर्ष में डालते हैं, वे, कुछ सीमा तक, ब्याज की दर एवं विद्यमान उधार की अवधि को छोड़कर, भावी पीढ़ी पर कुल मिलाकर डाले गये प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

2010–11 के अंत तक, सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–वित्तीय उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 1,22,16[अ] करोड़ रहा तथापि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 32 करोड़ (0.26%) लाभांश प्राप्त हुआ। 2010–11 के दौरान निवेश में ₹ 5,30 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश में ₹ 18 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च, 2010 को रिजर्व बैंक के पास (–) 20,41 करोड़ रोकड़ शेष था जो मार्च 2011 के अंत में घटकर (–) ₹ 27.05 करोड़ रहा।

6.2 ऋण तथा देयताएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई हो, जैसा कि समय–समय पर राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की गई हों, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार की कुल देनदारियों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	लोक ऋण	स.रा.घ.उ. का प्रतिशत	लोक लेखे #(*)	स.रा.घ.उ. का प्रतिशत	कुल देयताएं #(*)	स.रा.घ.उ. का प्रतिशत
2006–07	40346	31	13152	10	53498	41
2007–08	42040	30	13588	10	55628	39
2008–09	46632	29	14117	9	60749	37
2009–10	52841	27	15012	8	67853	35
2010–11	57769	21	17735	7	75504	28

(*) उचन्त एवं प्रेषण शेष छोड़कर

टीप : वर्ष के अंत में आकड़ों का प्रगामी शेष है।

2009–10 की तुलना में 2010–11 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्व में 76.51 करोड़ की शुद्ध वृद्धि हुई है। (11%)।

(अ) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच ₹ 10.83 करोड़ आवंटित होना है, की राशि शामिल है।

\# पुनर्गठन विधेयक, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच आवंटन नहीं होने से मध्य प्रदेश में ₹ 6,22 करोड़ की राशि रोककर रखी गई है।

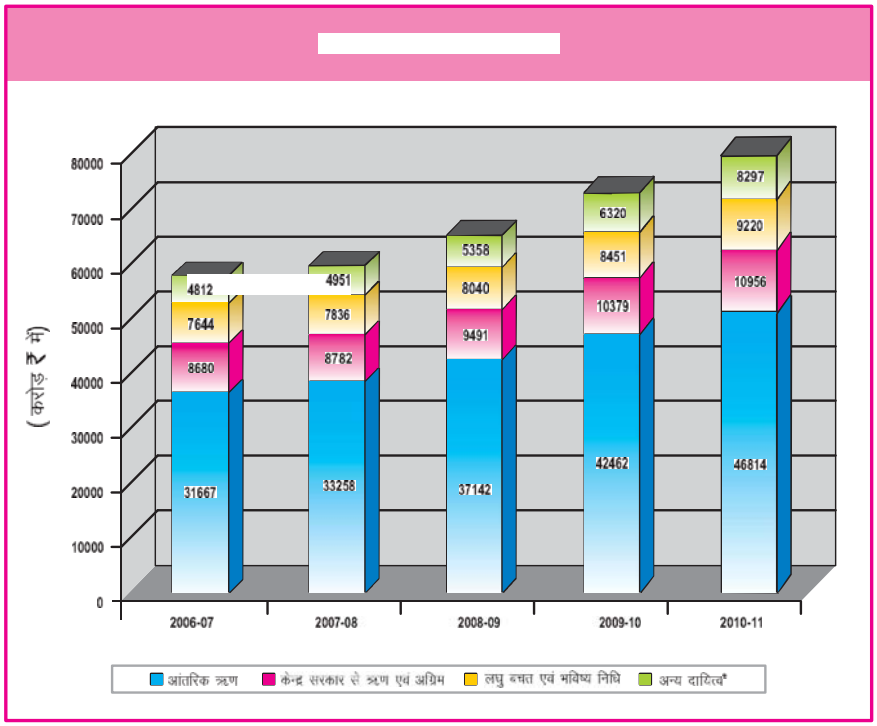

(*) बिना ब्याज मुक्त दायित्व जैसे कि स्थानीय निधियों में जमा, अन्य पृथक–रक्षित निधियां इत्यादि।

6.3 प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूंजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	31 मार्च 2011 को बकाया राशि
		मूलधन एवं ब्याज
2006–07	12424	866
2007–08	12086	856
2008–09	11991	1930
2009–10	11823	1630
2010–11	8439	5111

अन्य मदें

7.1 आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष :

राज्य सरकार द्वारा दिए गए उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होते हैं। सीधे ही लिए गए कर्जों के अतिरिक्त, राज्य सरकार, शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार एवं वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु लिए गए उधार की गारंटी देती है, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं। ये उधार संबंधित प्रशासनिक विभाग की प्राप्ति के तरह व्यवहृत किए जाते हैं एवं शासवीय लेखों में नहीं दर्शाए जाते हैं, तथापि शासकीय लेखों में परिलक्षित ऋण वापसियां, परिणामतः असमाशोधित प्रतिकूल शेषों एवं शासकीय लेखों में दायित्वों के न्यून विवरण के रूप में होती हैं।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम :

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के अंत तक कुल ₹ 1,51,05 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम दिए गए। इसमें से राशि ₹ 1,50,76 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम शासकीय निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को दिए गए। वर्ष के दौरान ₹ 21 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता :

विगत पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान वर्ष 2006–07 में ₹ 69,53 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 1,48,87 करोड़ हुआ। जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं नगर पालिकाओं को अनुदान, (₹ 37,58 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 25 प्रतिशत रहा।

विगत 5 वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं	पंचायत समितियां	अन्य	योग
2006–07	–	132	–	6821	6953
2007–08	–	197	–	8294	8491
2008–09	–	259	–	10061	10320
2009–10	–	429	–	7659	8088
2010–11	–	3758	–	11129	14887

7.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का विनियोजन :–

(करोड़ ₹ में)

घटक	1 अप्रैल, 2010 को	31 मार्च, 2011 को	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–)
रोकड़ शेष	(–) 2041	(–) 2705	(–) 664
रोकड़ शेष से विनियोग (भारत सरकार के कोषालय देयक एवं प्रतिभूति)	5560	9212	3652
उद्धिष्ट निधियों के शेषों से विनियोग	380	379	01
(क) निक्षेप निधि	–	–	–
(ख) प्रतिभूति विमोचन निधि	369	369	–
(ग) अन्य निधियां	11	10	1
(घ) वसूल ब्याज	173	263	90

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष के विनियोग पर ब्याज की वसूली में वर्ग 2009–10 की तुलना में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.5 लेखों का पुनर्मिलान :

लेखाओं की शुद्धता तथा विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ समय पर विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्षों के द्वारा संपादित किया जाता है। कई विभागों द्वारा लेखाओं का मिलान बकाया है। 2010–11 में राज्य सरकार के कुल व्यय (₹ 5,66,97 करोड़) के 56 प्रतिशत राशि ₹ 3,19,43 का मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्ति ₹ 3,54,53 करोड़ के विरूद्ध केवल नयंत्रक अधिकारियों द्वारा लेखाओं के पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दी गई है :–

विवरण	मुख्य नियंत्रक अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण पुनर्मिलान किया गया	आंशिक पुनर्मिलान किया गया	पुनर्मिलान नहीं किया
व्यय	104	86	17	1
प्राप्तियां	104	86	17	1
योग	**208**	**172**	**34**	**2**

7.6 कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण :

वर्ष 2010–11 के दौरान 650 मासिक लेखों में से 211 लेखे नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त हुये, यद्यपि यह लेखे संबंधित माह के मासिक सिविल लेखों में सम्मिलित किये गए। कोषालयों द्वारा नियत समय पर लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये। विवरण निम्नानुसार है :–

कोषालय लेखे

माह	देय लेखों की संख्या	नियत तिथि पर प्राप्त लेखों की संख्या	[illegible] लेखों की संख्या	सम्मिलित लेखों की संख्या	सम्मिलित नहीं किये गये लेखों की संख्या	दिनांक जिस दिन राज्य सरकार को लेखे प्रस्तुत किये गए
04 / 2010	53	36	17	53	–	24.05.10
05 / 2010	53	39	14	53	–	22.06.10
06 / 2010	53	38	15	53	–	23.07.10
07 / 2010	53	32	21	53	–	23.08.10
08 / 2010	53	46	7	53	–	23.09.10
09 / 2010	54	37	16	53	01	23.10.10
10 / 2010	57	20	37	57	–	25.11.10
11 / 2010	55	40	15	55	–	23.12.10
12 / 2010	55	39	16	55	–	25.01.11
01 / 2011	55	44	11	55	–	25.02.11
02 / 2011	55	37	18	55	–	24.03.11
03 / 2011	55	31	24	55	–	12.05.11
योग	**651**	**439**	**211**	**650**	**01**	–

7.7 अधिसंख्य सार आकस्मिक देयकों की विद्यमानता

जब धनराशि की अग्रिम आवश्यकता होती है अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी आवश्यक धनराशि की गणना करने में असमर्थ होता है, उसे बिना सहायक अभिलेख के सार आकस्मिकता देयकों के माध्यम से धनराशि आहरित करने की अनुमति होती है। ऐसे सार आकस्मिक देयकों का निपटारा विस्तृत आकस्मिकता देयकों के माध्यम से अधिकतम 90 दिवस में करना होता है। यथार्थतः 31 मार्च, 2011 के अंत में ₹ 21.43 करोड़ के 1339 विस्तृत आकस्मिकता देयक लम्बित है, यह दर्शाता है कि, निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।